P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February (Part2) * 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत की राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा की चुनौतियाँ

सत्येन्द्र सिंह
सहायक आचार्य,
राजनीति शास्त्र विभाग,
श्री राधेश्याम आर. मोरारका राजकीय महाविद्यालय,
झुंझुनूं, राजस्थान, भारत

सारांश

भारत विश्व का एक प्रमुख लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। भारत एक विकासशील 'राज्य' है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र आदि के रूप में विभिन्नता वाला देश है अतः देश के पूर्ण विकास के लिए राष्ट्रीय एकता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। मायरन वीनर के अनुसार राष्ट्रीय एकता का अर्थ है। "देश को विभाजित और विध्न उत्पन्न करने वाले आंदोलनों को नकारना तथा समाज में राष्ट्रीय एवं लोकहित धारणा फैलाना जो संकीर्ण हितों से परे हो"। डॉ. एस. राधाकृष्णन के अनुसार "राष्ट्रीय एकता ईंट एवं गारे से बन सकने वाला एक घर नहीं है। यह एक औद्योगिक योजना भी नहीं है जिसे विशेषज्ञों द्वारा विचार कर लागू किया जा सके। इसके विपरीत एकता एक विचार है जो लोगों के मस्तिष्क में जाना चाहिए। यह एक चेतना है जो विस्तृत रूप से लोगों में जगनी चाहिए।" राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम एवं उनके बीच आतंरिक संबंध सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय एकता की कमी के कारण राष्ट्र की सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं। अंग्रेजों के शासन काल में 'फूट डालो और राज करो' की अंग्रेजों की नीति के कारण भारत की राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचा तथा भारत का विभाजन हुआ एवं पाकिस्तान का निर्माण हुआ। वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा से संबंधित प्रमुख चुनौतियां – आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, साम्प्रदायिकता, शरणार्थियों की समस्या, सीमा विवाद, कश्मीर समस्या आदि हैं।

मुख्य शब्द : आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, साम्प्रदायिकता।

प्रस्तावना

भारत एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश है जिसने 15 अगस्त 1947 को लम्बे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद औपनिवेशिक दासता से मुक्ति पायी। भारत एक विविधता युक्त संस्कृति वाला देश है। किसी भी देश की भौगोलिक सीमा में शांति, सुव्यवस्था की स्थिति से व्यक्ति की सम्पूर्ण बौद्धिक, तार्किक एवं शारीरिक क्षमता का विकास हो सकता है यही क्षमता व्यक्ति एवं राष्ट्र के विकास का आधार बन सकती है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। भारत की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा की चुनौतियों का दृढ़ता के साथ मुकाबला करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय एकता के अभाव के कारण अनेक बार विदेशियों से हमें पराजित होना पड़ा। भारत अनेक छोटे–छोटे राज्यों में विभाजित रहा और ये राज्य एक–दूसरे से लड़ते रहते थे इससे देश का पतन होता रहा। फिर भी अतीतकाल में भारत की सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता बनी रही। अंग्रेजी शासनकाल में हमारी राष्ट्रीय एकता को गहरा आघात पहुंचा। 'फूट डालो और राज करो' की नीति के कारण हमारी राष्ट्रीय एकता भंग हुई। अंग्रेज अधिकारियों के पक्षपात और प्रोत्साहन से देश का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना हुई। भारत जैसे विविधता युक्त देश को एकता के सूत्र में मजबूती से बांधना एक महत्वपूर्ण समस्या है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत की राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा की चुनौतियों का अध्ययन करना।
2. भारत की राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा की चुनौतियों के कारणों को खोजना।
3. भारत की राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा की चुनौतियों के निवारण के उपाय खोजना।

अध्ययन पद्धति

ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है ताकि भारत में राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा की चुनौतियों का अध्ययन कर इसके कारणों एवं इनके निदान के उपायों को खोजा जा सके।

भारत की राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैः–

1. आतंकवाद
2. नक्सलवाद
3. जातिवाद
4. क्षेत्रवाद
5. भाषावाद
6. साम्प्रदायिकता
7. शरणार्थियों की समस्या
8. सीमा विवाद
9. कश्मीर समस्या

आतंकवाद

आतंकवाद का उद्देश्य हिंसक कार्यवाहियों द्वारा समाज या राज्य से अपनी मांगे मनवाना है। इसका मूल सिद्धान्त है, जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली आतंकवादी कार्यवाहियां बार–बार की जाएं जिससे जनसाधारण में आतंकवाद के विरूद्ध प्रतिरोध की भावना खत्म हो जाए। आतंकवादी वह है जो अपनी मांगे मनवाने के लिए चरम हिंसा का प्रयोग करके व्यक्ति विशेष, समाज या किसी सरकार पर दबाव डाले अर्थात् आतंकवाद का आशय है अपनी मांगे मनवाने के लिए बल प्रयोग। कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एण्ड पनिशमेंट 1937 द्वारा आतंकवाद को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है "आतंकवाद का अभिप्राय उन आपराधिक कृत्यों से है जो किसी राज्य के विरूद्ध उन्मुख हों और जिनका उद्देश्य कुछ खास लोगों का सामान्य जनमानस के मन में भय या आतंक पैदा करना हो।"

आतंकवादी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामान्यतया निम्नलिखित तकनीकों को अपनाते हैंः–

1. विमानों का अपहरण
2. राजनयिक व प्रमुख हस्तियों का अपहरण
3. सार्वजनिक नेताओं की हत्या
4. तोड़ फोड़ करना और बम आदि रखना
5. निर्दोष नागरिकों की हत्या।

भारत में आतंकवाद की शुरूआत स्वतंत्रता के तुरन्त बाद ही हो गई। आतंकवाद का उदय उत्तरी पूर्वी भारत (नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर) में हुआ। अंगामी जापू फिजो की 'नागा नेशनल कौंसिल' के माध्यम से नागा विद्रोहियों ने नागालैण्ड की भारत से पृथकता और स्वाधीनता के लिए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। विश्वेश्वर सिंह की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.) और लाल डेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट (एम.एन.एफ) की गतिविधियों के कारण आतंकवाद मणिपुर और मिजोरम में फैल गया।

पंजाब में भिण्डारवाले के संरक्षण में सिखों के उग्रवादी संगठनों 'आल इंडिया सिख स्टुडेन्टस फेडरेशन और दशमेश रेजीमेण्ट तथा बब्बर खालसा के सदस्यों ने देश में आतंकवाद की लहर छेड़ दी।' 1984 में जब सिख आतंकवादियों की गतिविधियां अपने चरम पर पहुँच गई तो सरकार ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' संगठित कर आतंकवाद के केन्द्र 'स्वर्णमन्दिर' में सेना का प्रवेश कराया। इस कार्यवाही में बड़ी संख्या में सिख आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। 1985 में पंजाब में संत लोंगोवाल की हत्या कर दी। 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंतसिंह की हत्या कर दी गई।

जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद, लश्करे–ए–तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, अल उमर मुजाहिद्दीन, जम्मू एण्ड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, अल बदर, जमायत उल मुजाहिद्दीन और दुखतरन ए मिलान आदि आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। 1999 में पाकिस्तान द्वारा जम्मूकश्मीर में आतंकवादी घुसपैठ की गई। 13 दिसम्बर 2001 को भारतीय संसद पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोइबा से जुड़े आतंकवादियों ने हमला बोल दिया।

पूर्वोत्तर में असम, नगालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों में आतंकवाद फैला हुआ है। 1993 में मुम्बई आतंकवादी हमला, 1998 में कोयम्बटूर आतंकवादी हमला, 2001 में भारतीय ससंद पर आतंकवादी हमला, 2002 में अक्षरधाम मंन्दिर, गाँधीनगर (गुजरात) आतंकवादी हमला, 2005 में दिल्ली आतंकवादी हमला, 2006 में मुम्बई रेल आतंकवादी हमला, 2007 में समझौता एक्सप्रेस आतंकवादी हमला, 26.11.2008 मुम्बई आतंकवादी हमला, 2008 में जयपुर बम ब्लास्ट, 2008 असम में आतंकवादी हमला, 2016 में पठानकोट आतंकवादी हमला तथा 2016 का उरी आतंकवादी हमला प्रमुख आतंकवादी हमलें हैं जिनके द्वारा भारत को बहुत अधिक मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ है।

नक्सलवाद

वर्तमान समय में भारत की आतंरिक सुरक्षा के लिए सबसे गम्भीर खतरा नक्सलवाद है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र को 'लाल गलियारे' के नाम से जाना जाता है इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर हमला, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या, जमीनी सुरंगे, बम विस्फोट, रेल ट्रेकों में तोड़फोड़, हत्या, अपहरण, डकैती, फिरौती, अवैध वसूली, जैसी खतरनाक गतिविधियां नक्सलवादियों द्वारा चलाई जा रही हैं।

नक्सलवाद की शुरूआत 1967 ई. में भारत, नेपाल, बांग्लादेश सीमा पर स्थित नक्सलवाड़ी गाँव से हुई थी जहां पर भू स्वामियों के खिलाफ संथाल आदिवासियों ने तीर, धनुष लेकर वहां की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तथा तथा उसके गोदामों को लूटकर अनाजों को बांट दिया। यह विद्रोह तेजी से फैला। लोगों ने देखा कि आजादी के दो दशक बाद भी आबादी का एक बड़ा तबका किसान, मजदूर, दलित आदिवासी शोषण के शिकार हैं तथा चंद स्वार्थ सम्पन्न व शक्तिशाली लोगों का सत्ता, उद्योग व जमीनों पर सामंतवादियों की पकड़ बनी हुई है इससे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका सशस्त्र विद्रोह है यही कारण है कि प्रारम्भ में इससे बड़ी संख्या में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी युवा तथा छात्र भी जुड़े। नक्सलवाद उग्र वामपंथ विचारधारा का ही एक रूप है

जिससे हिंसा जुड़ जाती है। माओवाद, मार्क्सवाद विचारधारा से प्रेरणा लेने वाले नक्सलियों का लोकतंत्र तथा संविधान में थोड़ा भी विश्वास नही है। इसका मानना है कि सत्ता तक केवल हिंसा के बल पर ही पहुंचा जा सकता है। सत्ता बैलेट से नहीं बुलेट से प्राप्त की जाती है वैचारिक तौर पर ये अधंविश्वासी तथा कट्टर होते हैं जो इसके संगठन को मजबूती प्रदान करता है। चारू मजूमदार, कानू सान्याल और मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरूआत हुई थी।

नक्सलवादी गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडू, उत्तराखण्ड, केरल, कर्नाटक हैं। नक्सली देश की आन्तरिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बने हुये हैं। नक्सली संगठनों ने अपने लड़ाकू दस्तों का सैन्यीकरण करने पर विशेष जोर दिया है। नक्सलियों का मुख्य हथियार है जंगलों की उनकी जानकारी तथा स्थानीय आदिवासियों से घुलने–मिलने और घात लगाने की क्षमता।

नक्सलवाद के कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं कृषि क्षेत्र की बर्बादी होती है तथा पूंजीपतियों का पलायन होता है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से संसाधनों का प्रभावशाली दोहन नहीं हो सकता है। प्रभावित राज्यों में पूंजी निवेश की संभावना कम हो जाती है। कानून व्यवस्था पर भी प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

नक्सलवाद से बचाव के लिए राज्य पुलिस का आधुनिकीरण कर बेहतर किस्म के हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यय को बढ़ाना चाहिए जिससे आत्म समर्पण कर चुके नक्सलियों का पुनर्वास भी किया जा सकें। नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाना। समीक्षा एवं निगरानी तंत्र की व्यवस्था करना एंव नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए चलाई गई नीतियों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना।

जातिवाद

परम्परावादी भारतीय समाज में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना भारतीय राजनीति की एक अद्भुत विशेषता है। भारत में राजनीतिक आधुनिकरण के प्रारम्भ होने के पश्चात यह धारणा विकसित हुई कि पश्चिमी ढ़ग की राजनीतिक संस्थाए और लोतंत्रात्मक मूल्यों को अपनाने के फलस्वरूप परम्परागत संस्था–जातिवाद का अन्त हो जायेगा, किन्तु स्वाधीनता के बाद की भारत की राजनीति में जाति का प्रभाव अनवरत रूप से बढ़ता गया। जाति प्रथा किसी न किसी रूप में संसार के हर कोने में पायी जाती है। एक गम्भीर कुरीति के रूप में यह हिन्दु समाज की ही विशेषता है। यह एक अति प्राचीन व्यवस्था रही है। इसका अभिप्राय पेशे के आधार पर समाज को कई वर्गो में बांट देना है। प्रो. रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक 'कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स' में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पड़ेगा। अतः राजनीति में जातिवाद का अर्थ है जाति का राजनीतिकरण।

जाति व्यवस्था और राजनीति में अन्तःक्रिया के सम्बन्ध में प्रो. रजनी कोठारी ने जाति प्रथा के तीन रूप प्रस्तुत किये हैं–

1. लौकिक रूप
2. एकीकरण का रूप
3. चैतन्य रूप

भारतीय राजनीति में 'जाति' की भूमिका–

1. निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावक भूमिका
2. राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय
3. जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार
4. मन्त्रिमण्डलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व
5. जातिगत दबाव समूह।

क्षेत्रवाद

क्षेत्रवाद से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। क्षेत्र एक तरह से समाज शास्त्रीय अवधारणा है जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है।

भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रवाद से अभिप्राय है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रान्त की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता की भावना वृहत भावना का विलोम है और इसका ध्येय संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होता है। भारतीय राजनीति के सन्दर्भ में यह ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। क्षेत्रीयता की भावना सारे देश में व्याप्त है जो प्रायः सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आन्दोलनों तथा अभियानों के रूप में प्रकट होती है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक कारण तथा भाषागत विविधता एवं जाति आदि प्रमुख कारण है।

क्षेत्रीयतावाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पृथक राज्य की मांग रही है इसी मांग के तहत हिमाचल प्रदेश को 1970 में, 1986–87 में मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया जनवरी 1972 में त्रिपुरा एवं मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1960 में बम्बई राज्य का विभाजन कर महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना हुई। 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया परिणामत– पंजाब एवं हरियाणा दो राज्य एवं चण्डीगढ़ को संघीय प्रदेश बनाया गया 1968 में असम का पुनर्गठन कर मेघालय को राज्य बनाया गया।

1991 से ही उत्तराखण्ड, झारखण्ड, बोडोलैण्ड, गोरखालैण्ड, पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना आदि राज्यों की स्थापना के लिए मांग की जाने लगी। वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ राज्यों की स्थापना की गई। 2014 में तेलंगाना की स्थापना की गई।

भाषावाद

स्वाधीनता के तुरन्त बाद मुख्य प्रश्न यह था कि देश की राष्ट्र भाषा और उसकी लिपि क्या हो तथा भाषायी अल्पसंख्यकों को किस आधार पर संरक्षण दिया जाए। संविधान ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण एवं पुनर्गठन हुआ। दक्षिण के लोग हिन्दी भाषा का विरोध करने लगे। वे राजभाषा के रूप में हिन्दी को पसन्द नहीं करते थे। उनका कहना था कि हिन्दी इस स्थिति में नहीं है कि वह भारत की राजभाषा बन सके। भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आन्दोलन हुए और राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गयी।

साम्प्रदायिकता

साम्प्रदायिकता के अन्तर्गत वे सभी भावनाएं व क्रियाकलाप आ जाते हैं। जिनसे किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए उन हितों को राष्ट्रीय हितों से भी अधिक प्राथमिकता दी जाए तथा उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए या उसको प्रोत्साहन दिया जाए।

सामान्यतः एक सम्प्रदायवादी का दृष्टिकोण समाज विरोधी होता है। उसको समाज विरोधी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वह अपने समूह के संकीर्ण हितों को पूरा करने के लिए अन्य समूहों के और सम्पूर्ण देश के हितों की भी अवहेलना करने से पीछे नहीं हटता। साम्प्रदायिक संगठनों का उद्देश्य शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है।

1909 के मार्ले मिन्टो सुधारों में साम्प्रदायिक आधार पर पृथक चुनावों की व्यवस्था का जनादेश किया गया। 1919 के एक्ट में साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए कायम रखा गया वरन् सिखों, यूरोपियनों, और आग्लंभारतीय समुदाय के लिए भी इसे अपना लिया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। 1947 में साम्प्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन हुआ।

मुसलमानों में पृथक्करण की भावना, मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन, पाकिस्तानी दुष्प्रचार और षड़यंत्र, संकुचित हिन्दू राष्ट्रवाद, सरकार की उदासीनता, दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति आदि साम्प्रदायिकता के प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त मन्दिर, मस्जिद विवाद भी साम्प्रदायिकता के एक बड़े कारण के रूप में उभरकर सामने आया है। साम्प्रदायिकता के कारण आपसी द्वेषता में वृद्धि होती है। आर्थिक हानि होती है, प्राण हानि भी होती है राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है।

शरणार्थियों की समस्या

भारत के पड़ौसी राष्टों पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों के कारण भारत की एकता एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तथा कई प्रकार की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के कारण भारत के उत्तर–पूर्वी राज्यों में बहुत अधिक समस्या बढ़ी है। श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों के कारण तमिलनाडु में समस्या बढ़ी है। पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों के कारण जम्मू कश्मीर में अव्यवस्था उत्पन्न होती है।

सीमा विवाद

भारत के पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं चीन के साथ प्रमुख सीमा विवाद हैं। जिनके कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है। भारत पाक सीमा आयोग का गठन 1947 में किया गया किन्तु स्वतंत्रता के समय की परिस्थितियों, दोनों देशों का सीमाओं को लेकर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक बिन्दुओं को कम करके आकना इत्यादि ने सीमा सम्बन्धी विवादों को भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में चिरस्थायी बना लिया।

भारत और बांग्लादेश के मध्य कुल 4095 किमी. की सीमा की साझेदारी है। इसमें पश्चिमी बंगाल में 2216 किमी. मिजोरम 318 किमी तथा असम में 261 किमी का विस्तार है। दोनों देशों की सीमाओं की कुल लम्बाई का 6.4 किमी. भाग समुद्री सीमा का रेखांकन नहीं किया गया है। जिसके कारण समय–समय पर नागरिकों की पहचान स्थापित करने जैसी समस्या लगातार बनी रहती हैं। भारत एवं चीन के मध्य भी सीमा विवाद बने हुए हैं।

कश्मीर समस्या

कश्मीर समस्या का इतिहास भारत विभाजन के साथ शुरू हुआ। 1947 में कश्मीर रियासत को भारत या पाकिस्तान किसी एक के साथ विलय का विकल्प था किन्तु वहां के महाराजा हरिसिंह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। इसी दौरान अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने सशस्त्र कबायलियों द्वारा कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। हरिसिंह के पास भारतीय सहायता की मांग के आलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं था। भारत सरकार ने हरिसिंह से विलय की प्रार्थना भी की। भारत सरकार ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते ही युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ भारत ने अपनी सेना कश्मीर भेज दी। इस प्रकार कश्मीर भारत का अंग बन गया। इसी समय पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर राज्य के एक हिस्से जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है पर कब्जा कर लिया। अन्ततः भारत यह मुद्दा लेकर यू. एन.ओ. में पहुंचा। यू.एन.ओ. द्वारा एक पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। 1948 को कश्मीर में युद्ध विराम की घोषण की गई। भारत जनमत संग्रह के लिए तैयार था परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ की इस शर्त पर कि जनमत संग्रह तभी होगा जब पाकिस्तान अपनी सेना हटा लेगाा। इस शर्त द्वारा पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को सदा के लिए विवादास्पद बनाने का मौका दे दिया। भारत ने अपनी कश्मीर नीति को सकारात्मक रूख देते हुए जनवरी 1954 में संविधान सभा में एक प्रस्ताव लाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया। इस बीच भारत ने कश्मीर में लोकतांत्रिक चुनाव भी करवाए, परन्तु पाकिस्तान का रवैया कश्मीर को लेकर नकारात्मक ही बना रहा। 1965 का युद्ध तथा 1971 का युद्ध इसके परिणाम रहे। 1972 के शिमला समझौते के

अनुसार वर्तमान में नियंत्रण रेखा ही युद्ध विराम रेखा बन गयी यह भारत और पाकिस्तान के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा है। कश्मीर को लेकर आज तक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल में घुसपैठ की गई तथा सीमा पार घुसपैठ एवं आतंकवादी गतिविधियां वर्तमान में भी जारी है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिए राष्ट्रीय एकीकरण एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं की निरन्तरता प्रत्येक राष्ट्र राज्य की जरूरत है। राष्ट्रीय एकता एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि अनेक पक्ष होते हैं। फिर भी अपने मूल रूप में वह ऐसी सामुदायिक एवं राष्ट्रीयता की भावना हैं जिससे विविध समुदायों को एकता के सूत्र में बांधा जा सके। राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य समाज में ऐसी भावना का विकास करना है जिससे, स्थानीयता, जातीयता, धार्मिक और भाषाई आस्थाओं से उपर उठकर व्यक्ति राष्ट्रीय सन्दर्भ में सोचने लगे और सामुदायिकता का विकास हो सके। भारत में राष्ट्रीय एकता का प्रश्न बहुत जटिल है क्योंकि धर्म, भाषा, और संस्कृति के साथ जातियों की विविधता भी भारतीय समाज की पारम्परिक विशिष्टता है जो भारतीय समाज के एकीकरण के मार्ग में बाधक है। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक भौगोलिक एवं राजनीतिक बाधांए हैं। भारत में सरकार ने जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया। वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा से संबंधित प्रमुख चुनौतियों आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, साम्प्रदायिकता, शरणार्थियों की समस्या, सीमा विवाद, कश्मीर समस्या आदि हैं।

भारत में राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए समुचित शिक्षा– व्यवस्था आवश्यक है जिसके द्वारा बालकों में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले एवं अलगाव की प्रवृत्तियों को कम किया जा सके। समाज के सभी वर्गों को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी प्रदान कर सबको साथ लेकर चला जाए। राज्यों की राजनीति पर ध्यान दिया जाए एवं केन्द्र एवं राज्यों के मध्य सहकारी संघवाद का निर्माण किया जाए। देश में व्याप्त आर्थिक विषमता का उन्मूलन किया जाए। विघटनकारी तत्वों पर सख्त कार्यवाही कर प्रतिबंध लगाया जाए। आकाशवाणी, दूरदर्शन, एवं पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से विघटनकारी तत्वों का पर्दाफाश कर राष्ट्रीय एकता का प्रचार किया जाना चाहिए। भाषा और धर्म के मामलों में सहिष्णुता बरती जानी चाहिए। राजनीतिक दलों को राजनीतिक स्वार्थों से उपर उठकर राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रयत्न करने चाहिए पड़ौसी राष्ट्रों के साथ सीमा विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से निपटाना चाहिए। आतंकवाद एवं नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

आजम कौसर जे. : पॉलिटिकल आस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, 1981, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ

गनी एच. ए. : मुस्लिम पॉलिटिकल इश्यूज एंड नेशनल इंटीग्रेशन, 1978, स्टर्लिंग पब्लिशर न्यू देहली

कुमार उदय : नक्सलाईट मूवमेंट ए बिगेस्ट चैलेंज टू द इंटरनल सिक्युरिटी 2011, लकी इटंरनेशनल पब्लिशर, न्यू देहली

कोठारी रजनी : 'कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स' 1970, ओरिएण्ट लोन्गमैन, नई दिल्ली

श्री निवासन एम एनः आधुनिक भारत में जाति 2009, राजकमल प्रकाशन दिल्ली,

सोविक चटर्जी : नक्सलिज्म ए थ्रेट टू इंटरनल सिक्यूरिटी, स्वास्तिक पब्लिशर एण्ड डिस्ट्री ब्यूटर्स। 2011, न्यू देहली

सिंह प्रकाश : द नक्सलाईट मूवमेंट इन इंडिया, रूपा एण्ड कम्पनी, 2006 न्यू देहली

स्वामी सुब्रमण्यम – टेरेरिज्म इन इंडिया : ए स्ट्रेटेजी ऑफ डिटरेन्स फॉर इण्डियाज नेशनल सिक्युरिटी 2008, हर आनंद पब्लिशर्स, न्यू देहली

वीनर मायरन : पॉलिटिक्स ऑफ स्केयरसिटीः पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पांस इन इंडिया, 1963, एशिया पब्लिशिंग हाऊस बॉम्बे